न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/352

1. बाबूलाल यादव पुत्र श्री बंशी,
2. दुलीचन्द यादव पुत्र श्री छीतरमल
3. रामवतार पुत्र श्री बंशी
4. प्रेम देवी पत्नी श्याम लाल,
5. प्रकाश चन्द पुत्र श्याम लाल,
6. कृष्णा पत्नी रामकरण
7. सौरभ पुत्र रामकरण
8. धोलाराम पुत्र श्याम लाल

निवासीगण पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–अपीलांट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राज०।
2. तहसीलदार, पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा - 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला कोटपूतली बहरोड प्रार्थना पत्र 14/2023 निर्णय दिनांक 23.06.2023

उपस्थित–

1. श्री सीताराम यादव वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–16.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 23.06.2023 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 443/0.57 में से 0.0100, 444/0.43 में से 0.0100, 416/0.03 में से 0.0025 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 23.06.2023 को दिये गये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 23.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट बाबूलाल यादव पुत्र श्री बंशी वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 23.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 443/0.57 में से 0.0100, 444/0.43 में से 0.0100, 416/0.03 में से 0.0025 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार पावटा द्वारा अंतर्गत धारा 131–132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था। अपीलांट्स खसरा नंम्बर 443 के काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये उनको हितों के विपरित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। उपखण्ड अधिकारी, पावटा ने आज्ञा पारित करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत से रास्ते हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कराया तथा अपीलान्ट्स खातेदारान् को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, पावटा द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.06.2023 के आधार पर अपीलान्टस् की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2023 में अंकित किया गया है कि नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, सहमति पत्र (संबंधित खातेदार) अनापत्ति प्रमाण पत्र, अभिशंषा तहसीलदार पावटा एवं परिपत्र का अवलोकन किया गया जबकि उपरोक्त खसरा के संबंधित खातेदार का कोई भी सहमति पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। खातेदार ओमप्रकाश सी.आई एस.एफ में कार्यरत है, मौके पर मौजूद ही नहीं थे तो उनके द्वारा सहमति दिया जाना संभव ही नही है। अतः पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके पर गये मनमाफिक रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एव मौके रिपोर्ट बनाने बावत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मौके पर कोई रोड नहीं है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ना ही पूर्व में थी और ना ही रोड वर्तमान में है फिर भी रास्ता दर्ज करने के अवैधानिक अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में पक्षकारों को कब नोटिस जारी किये गये, कब तामिल हुए हैं ऐसा पत्रावली पर कोई अंकन नहीं है ना ही कोई दस्तावेज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड 23.06.2023 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू- राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7 हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो पर विचार किया एव उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 26.07.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 443/0.57 में से 0.0100, 444/0.43 मे से 0.0100, 416/0.03 मे से 0.0025 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड मे गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा नम्बर 443 के अपीलांट्स काबिज रिकार्डेड खातेदार हैं एवं अपीलांट्स की खातेदारी खसरा नम्बर 443 में से बिना अपीलांट्स को पक्षकार बनाये एवं बिना सहमति के रास्ता निकाला गया है जो कि अनुचित है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस दिया और ना ही किसी प्रकार की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया ना ही अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः **आदेश है कि** अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 23.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जमाबंदी में दर्ज समस्त खातेदारान् को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(रश्मि गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर